No.I-27011/2/2017-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 12.12.2017

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of November, 2017 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
3. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of November, 2017"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF NOVEMBER, 2017

(1) Notifications:-

(i) A notification vide S.O. No. 3529(E), was issued on 03.11.2017 whereby this Ministry has designated Special Court with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras for the State of Tamil Nadu except Districts of Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Krishnagiri, Namakkal, Nilgiris, Salem and Tiruppur for providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013.

(ii) A notification vide G.S.R. No. 1372(E), was issued on 06.11.2017 whereby this Ministry has amended the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 to bring in its ambit companies required to comply with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and power sector companies for the purpose of filing their financial statements.

(iii) A notification vide G.S.R. No. 1371(E), was issued on 07.11.2017 whereby Companies (Accounts) Rules, 2014 have been amended for substituting the AoC-4 for capturing the demonetization data and auditors reporting thereon.

(iv) The Ministry, exercising the powers conferred by clause (a) of Section 54 of Competition Act, 2002 (the Act), has issued a notification S.O. No.3714 (E) dated 22.11.2017 exempting all cases of combinations under Section 5 of the Act involving Central Public Sector Enterprises (CPSEs) operating in the Oil and Gas Sectors under the Petroleum Act, 1934 and the rules made thereunder or under the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 and the rules made thereunder, along with their wholly or partly owned subsidiaries operating in Oil and Gas Sectors, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act, for a period of five years w.e.f. 22.11.2017.

The notification has been issued in National interest as the exemption would facilitate speedy combination between CPSUs in the Oil & Gas Sector, acquisition by way of downstream integration, which would enhance global competitiveness of State owned (GoI) entities in the Oil and Gas Sectors."

(2) The Cabinet in its meeting held on 22.11.2017 had approved the continuation of the IICA scheme for the FY 2017-18 top 2019-20 with Govt. support of Rs. 18.00 Crore.

(3) An Ordinance has been promulgated vide notification No.7 dated 23.11.2017 to amend Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) in order to further strengthen the insolvency resolution process by prohibiting undesirable persons from submitting a resolution plan who, on account of their antecedents, may adversely impact the credibility of the processes under the Code and further make provisions to specify certain additional requirements for submission and consideration of the resolution plan before its approval by committee of creditors.

सं. आई-27011/2/2017-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 12 दिसंबर, 2017

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नवंबर, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उप राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नवंबर, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नवंबर, 2017 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) **अधिसूचनाएं:**

(i) दिनांक 03.11.2017 को का.आ.सं.3529(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा इस मंत्रालय ने कोयंबटूर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कृष्णागिरी, नमक्कल, नीलगिरीस, सलेम और तिरूप्पुर को छोड़कर तमिलनाडु राज्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए मद्रास स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालय निर्दिष्ट किया है।

(ii) दिनांक 06.11.2017 को सा.का.नि.सं. 1372(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा इस मंत्रालय ने कंपनी (विस्तारणीय व्यापार रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेजों और प्ररूपों की फाइलिंग) नियम, 2015 के दायरे में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करने की अपेक्षा वाली कंपनियों को और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को उनके वित्तीय कथन फाइल करने के प्रयोजनों हेतु इसके दायरे में लाने के लिए संशोधित किया है।

(iii) दिनांक 07.11.2017 को सा.का.नि.सं.1371(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा विमुद्रीकरण आंकड़ें एकत्र करने और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग के लिए एओसी-4 को प्रतिस्थापित करने हेतु कंपनी (लेखा) नियम, 2014 संशोधित किए गए हैं।

(iv) इस मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22.11.2017 की अधिसूचना का.आ.सं.3714(अ) जारी की है जिसके द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत और तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत तेल और गैस क्षेत्र में कार्यशील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा तेल और गैस क्षेत्र में कार्यरत पूर्ण और आंशिक स्वामित्व वाली समनुषंगियों को शामिल करते हुए इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन संयोजनों के सभी मामलों को 22.11.2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों से छूट दी है।

यह अधिसूचना राष्ट्रहित में जारी की गई है क्योंकि इस प्रकार की छूट से तेल और गैस क्षेत्र में सीपीएसयू के मध्य शीघ्र संयोजन, एकीकरण द्वारा अधिग्रहण में मदद मिलेगी जिससे तेल और गैस क्षेत्रों में राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

(2) मंत्रिमंडल ने दिनांक 22.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में आईआईसीए स्कीम को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 18.00 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता के साथ जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया।

(3) दिवाला समाधान प्रक्रिया को और सुदृढ करने के लिए दिनांक 23..11.2017 को अधिसूचना सं. 7 के माध्यम से एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है ताकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को संशोधित किया जा सके जिससे अवांछनीय व्यक्तियों पर समाधान योजना प्रस्तुत करने पर रोक लगाई जा सके क्योंकि उनके पूर्ववृत्त इस संहिता के अधीन इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और साथ ही लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन देने से पूर्व समाधान योजना प्रस्तुत करने और उस पर विचार करने की कुछ अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करने हेतु प्रावधान भी किया गया है।